

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या 122
28.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रसार

122. श्री गौरव गोगोई:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 'फेम' इंडिया राजसहायता के अंतर्गत असम और अन्य उत्तर-पूर्व के राज्यों में वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक वर्ष-वार बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
- (ख) आज की तिथि के अनुसार असम में स्वीकृत और कार्यशील किए गए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) उत्तर-पूर्व राज्यों को वितरित की गई 'फेम' राजसहायता का राष्ट्रीय कुल योग के प्रतिशत के रूप में ब्यौरा क्या है;
- (घ) संशोधित उडान-ईवी कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क के अंतर्गत असम और उत्तर-पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों तक चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"उत्तर-पूर्व क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रसार" के संबंध में श्री गौरव गोगोई द्वारा दिनांक 28.07.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 122 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : 2022-23 से 2024-25 के दौरान फेम-II स्कीम के तहत असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में बेची गई ईवी की कुल संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	बेची गई ईवी (संख्या)		
		2022-23	2023-24	कुल
1	असम	2,108	8,882	10,990
2	त्रिपुरा	1,800	4,967	6,767
3	मेघालय	35	467	502
4	मणिपुर	312	56	368
5	मिजोरम	61	267	328
6	अरुणाचल प्रदेश	3	13	16
7	सिक्किम	5	4	9
8	नागालैंड	2	4	6
	कुल	4,326	14,660	18,986

फेम-II को 01.04.2019 से 31.03.2024 तक कार्यान्वित किया गया।

(ख) : 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार, फेम-II स्कीम के तहत कुल 117 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) स्वीकृत किए गए हैं और 88 ईवी पीसीएस असम में प्रचालनरत हैं।

(ग) : फेम-II स्कीम को अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है और स्कीम के तहत कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में पंजीकृत ईवी के क्रेताओं को संवितरित फेम सब्सिडी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	प्रोत्साहन प्रदत्त ईवी की संख्या	संवितरित प्रोत्साहन (करोड़ रु. में)
1	असम	11,776	71.23
2	त्रिपुरा	7,765	55.67
3	मेघालय	505	3.17
4	मणिपुर	452	2.93
5	मिजोरम	324	0.97
6	अरुणाचल प्रदेश	15	0.08
7	सिक्किम	10	0.05
8	नागालैंड	8	0.03
	उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए कुलयोग	20,855	134.13
	स्कीम के तहत कुल संवितरण (अखिल भारत)	16,21,197	6,575,29
	उत्तर-पूर्वी राज्यों का भाग	1.29%	2.04%

उपर्युक्त के अतिरिक्त, उत्तर-पूर्वी राज्यों में 198 ईवी चार्जर्स को स्वीकृति प्रदान की गई है और इन्हें तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। चार्जर्स की

स्वीकृत संख्या है: असम में 117, मेघालय में 29, नागालैंड में 23, मणिपुर में 14, मिजोरम में 7, त्रिपुरा में 5 और अरुणाचल प्रदेश में 3 ।

(घ) : नागरिक उड्डयन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाल ही में प्रारंभ की गई संशोधित **उड़ान** स्कीम के अंतर्गत ऐसा कोई ढाँचा उपलब्ध नहीं है।
